सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय आयुक्त, इंदौर (मध्य प्रदेश)

16 दिसंबर, 2005

[अशोक भान और एस. एच. कपाडिया, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944/केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944:

एस.4/आर। 173-सी-साकेट बाजार से खरीदे गए और एम.एस./जी.आई. पर फिट किए गए। पाइप-आंकलन योग्य मूल्य-साकेट और सेवा शुल्क की लागत के लिए कटौती के लिए निर्धारिती का दावा-जोड़, राजस्व में साकेट की लागत और एम.एस./जी.आई. पाइप के आंकलन योग्य मूल्य में सेवा शुल्क को शामिल करना सही था।

शब्द और वाक्यांशः

'सॉकेट्स' का संयोजन

अपीलार्थी एम.एस./जी.आई. पाइपों के निर्माता, ने बाजार से साकेट खरीदे और एम. पी. लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से पाइपों में वही फिट कराए। अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-सी के तहत मूल्य सूची दायर की जिसमें एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य से सेवा शुल्क और साकेट की लागत के लिए कटौती का दावा किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने कटौती की अनुमित देने से इन्कार कर दिया। इस आदेश को अंततः सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर, निर्धारिती ने वर्तमान अपील दायर की।

सवाल के बारे मेंःक्या विभाग एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में साकेट की लागत और सेवा शुल्क के मूल्य को शामिल करने में सही था।

याचिका खारिज करते ह्ए कोर्ट ने कहा,

आयोजित 1.1. केंद्रीय जी उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत मूल्यांकन का आवश्यक आधार अपीलार्थी द्वारा लिया गया थोक नकद मूल्य है। सामान्य कीमत कम होती है। 4(1) (ए) ने उत्पाद शुल्क लगाने के लिए एक उपाय का गठन किया। वर्तमान मामला मूल्यांकन के संबंध में है न कि वर्गीकरण के संबंध में अंतर्गत कर्तव्य धारा 4 "वैचारिक मूल्य" पर नहीं बल्कि लगाए गए सामान्य मूल्य पर लगाया जाना था या निर्धारिती द्वारा प्रभार्य।

भारत संघ और अन्य बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड, ए.आई.आर. (1984) एस.सी. 420 और हिंदुस्तान पॉलिमर बनाम सी.सी.ई. (1989) 43 ई.एल.टी. 165 पर भरोसा किया गया।

1.2. तथ्यों पर, अपीलार्थी ने साकेट से सुसज्जित पाइपों को साफ कर दिया था और उसने अपने ग्राहकों से साकेट से सुसज्जित पाइपों के लिए शुल्क लिया था। आयुक्त के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा यह भी पाया गया है कि पाइपों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए साकेट की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में, कार्यात्मक परीक्षण पूरी तरह से संतुष्ट था। सॉकेट्स ने न केवल पाइपों के काम करने में योगदान दिया, बल्कि यह एम.एस./जी.आई. पाइपों का एक हिस्सा था। जब अपीलार्थी ने साकेट के साथ एम.एस./जी.आई. पाइपों विभाग एम.एस./जी.आई. पाइपों की कीमत वसूल की गई। इसलिए, विभाग एम.एस./जी.आई. पाइपों

के आंकलन योग्य मूल्य में सॉकेट की लागत को शामिल करने में सही था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम एके कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, (2005) 182 डी ई.एल.टी. 294 पैरा 45 पर भरोसा किया।

चैम्बर्स विज्ञान और तकनीकी शब्दावली, संदर्भित।

2. समान रूप से, अपीलार्थी द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में अक्षम्य थे। एम.एस./जी.आई. पाइपों में साकेट लगाने के लिए सेवा शुल्क का भुगतान किया गया था। मामले में दर्शाई गई प्रकृति के सेवा शुल्कों की कटौती धारा 4 (4) (डी) (ii) द्वारा अनुध्यात कटौती के दायरे में नहीं आती है। वे व्यापार छूट की प्रकृति में नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, विभाग ने उक्त सेवा शुल्क को एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में शामिल करने में सही था।

कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (1984) 17 ई.एल.टी. 607, पर भरोसा किया। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 2560/ 2005 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में एफ.ओ. सं. 41/2005- एन.बी.(ए) 2004-एन.बी.(ए) का ई/2475 में दिनांकित 24.12.2004 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थीयों के लिए जे.वेल्लापल्ली, प्रदीप अग्रवाल, रागवेश सिंह उनके साथ सुशील कुमार जैन और मिसेज प्रतिभा जैन।

प्रतिवादीयों के लिए जी.ई. वाहनवती, सॉलिसिटर जनरल, उनके साथ राजीव दत्ता, टी.ए. खान, रुपेश कुमार और पी. परमेश्वरन थे।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

कापडिया, जे.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 35-एल (बी) के तहत यह दीवानी अपील दीवानी अपील संख्या की अगली कड़ी है।2000 का 4247-4248, इसलिए, मामले के तथ्यों को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है।

इस दीवानी अपील में, एक छोटा सा सवाल जो निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है-क्या विभाग एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में साकेट की लागत और सेवा शुल्क के मूल्य को शामिल करने में सही था।

इसमें अपीलार्थी ने विभाग के साथ अनुमोदन के लिए एम.एस./जी.आई. पाइपों के संबंध में भाग-II के रूप में नियम 173-C के तहत अपनी मूल्य सूचियां दाखिल की थीं, जिसमें उसने एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य से सेवा श्ल्क और साकेट की लागत के लिए कटौती का दावा किया था। विभाग के अनुसार, पाइपों में लगे साकेट पाइपों के आवश्यक भाग थे। उन्होंने पाइपों के काम करने को सक्षम बनाया और साकेटों के अभाव में, उक्त एम.एस./जी.आई. पाइपों को पूरा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि एक दूसरे से पाइपों को जोड़ने के लिए साकेट आवश्यक भाग थे। विभाग के अन्सार, पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य से सेवा शुल्क कटौती योग्य नहीं थे, क्योंकि उक्त शुल्क का भ्गतान निर्धारिती द्वारा मध्य प्रदेश लघ् उद्योग निगम लिमिटेड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आदेश/भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया था और यह मामला कोरोमंडल

फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था। भारत संघ और अन्य ने (1984) 17 ई. एल.टी. 607 में रिपोर्ट किया।

अपीलार्थी के अनुसार, शुल्क भ्गतान की गई वस्त्ओं को खरीद लिया गया था। वे टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निहित विभिन्न टैरिफ वर्गीकरण का जवाब देने वाले स्वतंत्र उत्पाद थे। अपीलार्थी के अनुसार, साकेट उनके द्वारा निर्मित नहीं थे। अपीलार्थी के अनुसार, साकेट शुल्क भुगतान सहायक उपकरण थे। अपीलार्थी के अन्सार, साकेट एम.एस./जी.आई. पाइप के घटक नहीं थे। अपीलार्थी के अनुसार, पाइप के एक छोर पर साकेट लगाने की गतिविधि का उल्लेख अध्याय 73 के नोट में नहीं किया गया है। धारा नोट में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किस अध्याय 73 के तहत आता है और इसलिए, सॉकेट्स की लागत एम.एस./जी.आई. पाइप के आंकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं थी। जहाँ तक सेवा शुल्कों का संबंध है, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि उक्त श्ल्क एम.एस./जी.आई. पाइपों के निर्माण से जुड़े नहीं थे। कि, सेवा शुल्क का भ्गतान किया गया मध्य प्रदेश लघ् उद्योग निगम लिमिटेड को जब माल की आपूर्ति की गई थी।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और चूंकि शुल्क निर्धारिती द्वारा मंजूरी के बिंदु से परे किए गए थे, इसलिए उक्त शुल्क पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं थे। अपीलार्थी के अनुसार, इन शुल्कों ने माल के चरित्र में योगदान नहीं दिया। वे निरीक्षण शुल्क या भंडारण शुल्क की तरह थे और इसलिए, वे पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं थे।

हम अपीलार्थी की ओर से दिए गए उपरोक्त तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अधिनियम की धारा 4 के तहत मूल्यांकन का आवश्यक आधार अपीलार्थी द्वारा लिया गया थोक नकद मूल्य है। धारा 4 (1) (ए) के तहत सामान्य मूल्य उत्पाद शुल्क लगाने के लिए एक उपाय था। वर्तमान मामले में, हम मूल्यांकन से संबंधित हैं न कि वर्गीकरण से। धारा 4 के तहत शुल्क "वैचारिक मूल्य" पर नहीं बल्कि निर्धारिती द्वारा लगाए गए या प्रभार्य सामान्य मूल्य पर लगाया जाता था। [देखिए:भारत संघ और अन्य बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड, एआईआर (1984) एससी 420 में रिपोर्ट किया गया]

इस मामले के तथ्यों पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया है कि पाइप डी को हटाने के स्थान (कारखाने के द्वार) से साफ किया गया था और उसमें साकेट लगाए गए थे। इसके अलावा, अपीलार्थी ने अपने ग्राहकों से उक्त साकेट के लिए शुल्क लिया था।यह सच है कि वर्तमान मामले में, सॉकेट्स को अपीलार्थी द्वारा बाजार से उक्त एम.एस./जी.आई. पाइपों में फिट करने से पहले खरीदा गया था। हालाँकि, अपीलार्थी ने साकेट लगे पाइपों को साफ़ कर दिया था और उसने अपने ग्राहकों से साकेट लगे पाइपों के लिए शुल्क लिया था और इसलिए, विभाग ने साकेट की लागत के साथ पाइपों की कीमत को लोड करने में सही था।

हिंदुस्तान पॉलिमर बनाम सी.सी.ई. (1989) 43 ई.एल.टी. 165 के मामले में रिपोर्ट किए गए, इस अदालत ने धारा 4 के तहत निर्णय दिया है कि, सामान्य मूल्य जिसके लिए कारखाने के द्वार पर माल बेचा गया था, उसे आंकलन योग्य मूल्य के रूप में लिया जाएगा और यदि कोई निर्माता किसी वस्तु (इस मामले में साकेट) के लिए शुल्क लगाता है, जो बाजार में पाइप लगाने के लिए आंतरिक रूप से आवश्यक था, तो ऐसी वस्तु की कीमत को पाइप के सामान्य मूल्य पर लोड किया जाना था।

उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम पाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि साकेट को निकासी से पहले उक्त एम.एस./जी.आई. पाइपों पर लगाया गया था। आयुक्त के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा यह भी पाया गया है कि पाइप के धागे वाले हिस्से पर साकेट लगाए गए थे। यह पाया गया है कि उक्त साकेट ने पाइपों को काम करने में सक्षम बनाया।यह पाया गया है कि पाइपों के काम करने के लिए साकेट आवश्यक थे। पाइपों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उनकी आवश्यकता होती थी। इन परिस्थितियों में, कार्यात्मक परीक्षण इस मामले में पूरी तरह से संत्ष्ट था और इसके परिणामस्वरूप, उक्त साकेट की लागत उक्त के आंकलन योग्य मूल्य में शामिल थी। एम.एस./जी.आई. पाइप। अपीलार्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि अनिवार्यता का परीक्षण सही परीक्षण नहीं है। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हमने कई मामलों में अनिवार्यता के परीक्षण को लागू किया है, विशेष रूप से एक घटक को सहायक से अलग करने के लिए। (देखिए:केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम अकेय कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ने (2005) 182 ई.एल.टी. 224 पैरा 45 में रिपोर्ट किया। चैम्बर्स विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के अन्सार, "साकेट" बी को एक जोड़ बनाने के लिए एक समान आकार के पाइप के ऊपर से गुजरने के लिए बढ़े हुए पाइप के अंत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, साकेट ने न केवल पाइपों के काम करने में योगदान दिया, बल्कि यह एम.एस./जी.आई. पाइपों का एक हिस्सा था। जैसा कि कहा गया है, जब अपीलार्थी ने साकेट के साथ एम.एस./जी.आई. पाइप बेचे तो ग्राहक से साकेट की कीमत वसूल की गई। इसलिए, विभाग एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में साकेट की लागत को शामिल करने में सही था।

इसी तरह, अपीलार्थी द्वारा किए गए सेवा शुल्क के प्रश्न पर, हम पाते हैं कि उक्त शुल्क निर्धारणीय मूल्य में शामिल थे क्योंकि वे व्यापार छूट की प्रकृति में नहीं थे। इस मामले में दर्शाई गई प्रकृति के सेवा शुल्कों की कटौती धारा 4(4)(डी)(ii) द्वारा अनुध्यात कटौती के दायरे में नहीं आती है। वे व्यापार छूट की प्रकृति में नहीं हैं। व्यापार छूट केवल तभी कटौती के रूप में स्वीकार्य है जब छूट किसी उपभोक्ता या व्यापारी को दी जाती है। वर्तमान मामले में, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक बिक्री एजेंट को सेवा शुल्क का भुगतान किया गया था। इन परिस्थितियों में, एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में सेवा शुल्क शामिल थे। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (स्प्रा) के मामले में इस अदालत

के फैसले में इस बिंदु को पूरी तरह से शामिल किया गया है। इन परिस्थितियों में, विभाग ने उक्त सेवा शुल्क को एम.एस./जी.आई. पाइपों के आंकलन योग्य मूल्य में शामिल करने में सही था।

समापन से पहले, हम यह इंगित कर सकते हैं कि विचाराधीन साकेट खरीदे गए थे, जैसा कि आयुक्त के पास था। साकेटों की लागत निर्धारण योग्य मूल्य में सहित थी और इसलिए, अपीलार्थी निर्णय की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर विभाग को भुगतान किए गए दस्तावेजों को पेश करने के अधीन, साकेटों पर भुगतान किए गए शुल्क पर मोडवेट क्रेडिट लेने का हकदार था। वास्तव में, इस आशय के निर्देश न्यायाधिकरण द्वारा विवादित फैसले में दिए गए हैं।

नतीजतन, इस दीवानी अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आर. पी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।